

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 622/2011 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 08.08.2011

फाइलिंग नंबर : 230303005372011

श्रीमती बुधाबाई पत्नि दाताराम आयु 33 वर्ष, जाति कुशवाह
निवासी ग्राम बाखौली थाना मौ परगना गोहद जिला भिण्ड
हाल ग्राम डोंढरी परगना मेंहगांव जिला भिण्ड म.प्र.

— परिवादी

बनाम

- 1—दाताराम पुत्र श्यामलाल उम्र 41 वर्ष
 - 2—श्यामलाल पुत्र पंचमसिंह उम्र 66 वर्ष
 - 3—भूरीबाई पत्नी श्यामलाल उम्र 55 वर्ष
 - 4—जमुनीप्रसाद पुत्र श्यामलाल उम्र 36 वर्ष
 - 5—श्रीमती बर्फी पत्नी विनोद कुमार उम्र 30 वर्ष
- समस्त जाति कुशवाह निवासीगण ग्राम बाखौली थाना मौ
जिला भिण्ड
- 6—श्रीमती ओमवती पत्नि पूरनसिंह उम्र 45 वर्ष जाति कुशवाह
निवासी ग्राम मकाटा थाना मौ जिला भिण्ड
 - 7—श्रीमती गुड्डी पत्नि केसरी उम्र 38 वर्ष जाति कुशवाह
निवासी ग्राम भंगे गिजौरा तह0 डबरा जिला ग्वालियर

— अभियुक्तगण

(आरोप अंतर्गत धारा-498ए भा0दं0सं0)

(परिवादी द्वारा अधिवक्ता श्री हृदेश शुक्ला)

(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री आर0पी0एस0 गुर्जर)

निर्णय

(आज दिनांक 07-09-2017 को घोषित)

आरोपीगण पर दिनांक 09.06.11 के लगभग 15 वर्ष पूर्व से ग्राम
बाखौली में परिवादी बुधाबाई के पति/ नातेदार होकर परिवादी बुधाबाई से दहेज में एक
लाख रुपये की मांग करने एवं मांग की पूर्ति न होने पर परिवादी बुधाबाई को शारीरिक

एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित करने हेतु भा0द0सं0 की धारा 498ए के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में परिवार पत्र इस प्रकार है कि परिवारिया बुधाबाई का विवाह 15 वर्ष पूर्व आरोपी दाताराम के साथ हुआ था श्यामलाल परिवारिया का ससुर भूरीबाई परिवारिया की सास जमुनीप्रसाद परिवारिया का जेठ, बर्फी परिवारिया की देवरानी एवं ओमवती तथा गुड्डी परिवारिया की ननद हैं। विवाह के पश्चात परिवारिया ने कुछ समय ससुराल में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया था उसके पश्चात से आरोपीगण द्वारा परिवारिया को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा था। परिवारिया अपने पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हुए एवं अपने वैवाहिक जीवन को बर्बाद होने से बचाने के लिए अपने पति एवं ससुराल के सभी लोगों के बीच सामंजस्य बिठाती रही थी। आरोपीगण परिवारिया से एक लाख रुपये की मांग करते थे एवं मांग पूरी न होने पर आरोपीगण आए दिन परिवारिया की मारपीट करते थे शादी के बाद परिवारिया के पुत्र दिनेश एवं श्रीमोहन तथा पुत्री नेहा पैदा हुए थे जो कि परिवारिया के साथ में हैं। आरोपी श्यामलाल, भूरीबाई, जमुनीप्रसाद, बर्फी, ओमवती तथा गुड्डी खेडे होकर आरोपी दाताराम से परिवारिया को शारीरिक यातनाएं दिलवाते थे परिवारिया को मारपीट कर घर से निकाल दिया जाता था एवं परिवारिया के माता-पिता तथा भाईयों द्वारा पंचायत की जाकर परिवारिया को आरोपीगण के घर रहने भेज दिया जाता था। इस घटना की पुनरावृत्ति विगत 8 वर्षों से हो रही है। दिनांक 15.03.2011 को परिवारिया के ससुराल वालों ने परिवारिया के पति दाताराम से मारपीट करवाई थी एवं परिवारिया तथा उसके तीनों बच्चों को पहने हुए कपड़ों में घर के बाहर निकाल दिया था उक्त घटना की रिपोर्ट करने के लिए परिवारिया थाना मौ गई थी किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। परिवारिया के भाईयों ने सामाजिक स्तर पर समाज एवं रिश्तेदारों को इकट्ठा करके कई बार परिवारिया के वैवाहिक जीवन को बचाने का प्रयास किया था किंतु आरोपीगण परिवारिया को रखने के लिए तैयार नहीं हुए थे। परिवारिया के विवाह के दो वर्ष पश्चात परिवारिया के देवर विनोद कुमार का विवाह आरोपी बर्फी के साथ संपन्न हुआ था। विनोद कुमार शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम है। इस कारण आरोपी बर्फी ने उसके पति दाताराम से अवैध रूप से शारीरिक संबंध बना लिए हैं जिसको रोकने का परिवारिया ने कई बार प्रयास किया था परंतु आरोपीगण परिवारिया को और अधिक शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं देने लगे थे। इसलिए परिवारिया द्वारा यह परिवार प्रस्तुत किया गया है।

3. उक्त परिवार की जांच उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय द्वारा भा0द0सं0 की धारा 498ए का संज्ञान लिया गया तत्पश्चात आरोप पूर्व साक्ष्य अंकित की गई एवं उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 498ए के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वे निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 09.06.11 से लगभग 15 वर्ष पूर्व से ग्राम बाखौली में परिवारिया के पति/नातेदार होकर परिवारिया बुधाबाई से दहेज में एक लाख रुपये की मांग की तथा मांग की पूर्ति न होने पर परिवारी बुधाबाई को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में परिवारी की ओर से परिवारी बुधाबाई अ0सा01, हरविलास अ0सा02 एवं सुरेन्द्र सिंह अ0सा03 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में परिवारी बुधाबाई अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसकी शादी उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 20 वर्ष पूर्व दाताराम के साथ हुई थी। श्यामलाल एवं भूरीबाई उसके सास ससुर हैं। जमुनी उसका जेट, बर्फी उसकी देवरानी है ओमवती तथा गुडडी उसकी ननद हैं। शादी के बाद वह अपनी ससुराल बाखौली गई थी। शादी के बाद वह एक दो साल अपनी ससुराल में ठीक ठाक रही थी। इसके बाद उसका पति दाताराम उसकी मारपीट करने लगा था। उसकी देवरानी बर्फी उसे पिटवाती थी फिर कहा सभी लोग उसे खड़े होकर पिटवाते थे उसका भाई उसे मायके ले जाता था एवं कुछ दिन बाद उसे ससुराल छोड़ जाता था पंचायतें भी जोड़ी गई थी परंतु आरोपीगण उसकी मारपीट करते रहे थे। दाताराम कहता था कि एक लाख रुपये लाओ तभी तुम्हें रखेंगे। उसके माता-पिता ने पंचायत जोड़ी थी परंतु उसके ससुराल वालों ने किसी ने नहीं मानी थी उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 6 साल पहले होली के आस-पास सभी आरोपीगण ने उसे घर से निकाल दिया था। फिर वह मौं थाने गई थी परंतु पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट नहीं ली थी इसके बाद उसने न्यायालय में परिवार प्रस्तुत किया था। उसके तीन बच्चे हैं जो उसके साथ ही मायके में रहते हैं।

8. प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसकी शादी में दान दहेज के संबंध में कोई बात नहीं की गई थी उसके दो लडके एवं एक लडकी है। उसके बड़े लडके दिनेश की आयु लगभग 14 वर्ष है। शादी के 1-2 साल बाद उसे परेशान करने लगे थे। उसके सास ससुर वृद्ध नहीं हैं। उसे जानकारी नहीं है कि उसके सास ससुर की उम्र कितनी होगी। उसके पति दाताराम तीन भाई हैं उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि तीनों की शादी हो गई है एवं तीनों अपनी पत्नि तथा बच्चों सहित अलग-अलग निवास करते हैं। उसकी ननद ओमवती की शादी उसकी शादी के पहले हो गई थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि शादी के बाद से ही ओमवती अपनी ससुराल में रहने लगी थी उसकी शादी के 1-2 साल बाद उसकी ननद गुडडी की शादी हो गई थी एवं वह भी अपनी ससुराल में रहने लगी थी। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष अधिवक्ता के इस सुझाव से इंकार किया है कि दोनों ननद उसके यहां त्यौहार के समय आती थी एवं व्यक्त किया है

कि वह दो-दो महीने रहती थी। पद क्र03 में उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसके सास ससुर उसकी शादी के बाद से ही उसके साथ रहते थे। वह नहीं बता सकती कि आरोपीगण द्वारा उसे किस माह से परेशान किया जाने लगा था। आरोपीगण उसे परेशान करते थे इसकी शिकायत उसने अपने तीनों भाईयों से की थी। ग्राम बाखौली में एक दो बार पंचायत हुई थी एवं एक दो बार उसके मायके ग्राम डोंढरी में हुई थी। उसे नहीं पता कि पंचायत में कौन-कौन गया था वह उनके नाम नहीं बता सकती है। पद क्र0 6 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसका लडका दिनेश शादी के 2 साल बाद पैदा हुआ था एवं उसके मायके से दिनेश के जन्म होने के पश्चात पछ आया था एवं उस पछ को आरोपीगण ने प्रेमपूर्वक लिया था उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पछ के समय उसके ससुराल वालों ने उसके मायके वालों से कोई शिकायत नहीं की थी। वह नहीं बता सकती कि उसके ससुराल वालों ने सर्वप्रथम उसकी मारपीट किस वर्ष से की थी। उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि शादी के दो साल बाद से ही आरोपीगण उसकी मारपीट करते थे वह उक्त संबंध में मौ थाने रिपोर्ट करने गई थी परंतु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी थी।

9. परिवादी साक्षी हरविलास अ0सा02 एवं सुरेन्द्र सिंह अ0सा03 ने भी परिवादी के कथन के समर्थन में साक्ष्य दी है।

10. तर्क के दौरान परिवादी अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में परिवादी एवं साक्षीगण के कथन अखण्डनीय रहे हैं ऐसी स्थिति में आरोपीगण दोषसिद्धी के हकदार हैं जब कि तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी एवं परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी बुधाबाई अ0सा01 ने अपने कथन में यह बताया है कि शादी के बाद वह 1-2 साल अपनी ससुराल में ठीक रही थी इसके बाद आरोपी दाताराम उसकी मारपीट करने लगा था उसकी देवरानी बर्फी उसे पिटवाती थी इसके तुरन्त पश्चात ही इसी साक्षी का कहना है कि सभी लोग उसे खड़े होकर पिटवाते थे दाताराम उससे एक लाख रुपये अपने मायके से लाने के लिए कहता था इसी क्रम में आरोपीगण ने न्यायालयीन कथन से लगभग 6 साल पहले होली के आस-पास उसे घर से निकाल दिया था प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके पति दाताराम तीन भाई हैं तथा यह भी स्वीकार किया है कि तीनों भाई अपनी पत्नि एवं बच्चों सहित अलग-अलग निवास करते हैं। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी ननद गुड्डी एवं ओमवती की भी शादी हो चुकी है तथा वह भी अपनी ससुराल में रहती हैं।

12. इस प्रकार परिवादी बुधाबाई अ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि दाताराम के भाई अपनी पत्नि एवं बच्चों सहित परिवादी से अलग निवास करते हैं एवं आरोपी ओमवती तथा गुड्डी बाई भी अपनी ससुराल में निवास करती हैं। परिवादी बुधाबाई अ0सा01 द्वारा अपने परिवाद पत्र एवं न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि उसके सास, ससुर, ननद, जिठानी, जेठ एवं देवरानी उसे उसके पति से पिटवाते थे परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि दाताराम के सभी भाई

अपनी पत्नि और बच्चों के साथ पृथक निवास करते थे एवं उसकी ननद ओमवती तथा गुड्डी बाई भी अपनी ससुराल में रहती हैं। ऐसी स्थिति में जब कि आरोपी जमुनीप्रसाद, बर्फी, ओमवती एवं गुड्डी परिवारी के साथ निवास नहीं करते थे परिवारी का यह कथन कि उक्त सभी आरोपीगण परिवारी को उसके पति दाताराम से पिटवाते थे विश्वासयोग्य प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि परिवारी बुधाबाई अ0सा01 ने यह भी व्यक्त किया है कि उसकी दोनों ननद ओमवती एवं गुड्डी दो-दो महीने उसके साथ रहती थी परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ओमवती एवं गुड्डी कब-कब अपनी ससुराल से आकर दो-दो महीने उसके साथ रहीं थी एवं आरोपी ओमवती एवं गुड्डी ने कब-कब दाताराम से उसे पिटवाया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि परिवारिया बुधाबाई अ0सा01 के कथनों से यह दर्शित है कि दाताराम के सभी भाई अर्थात् आरोपी जमुनीप्रसाद एवं बर्फी भी परिवारी से पृथक रहते हैं एवं परिवारी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त आरोपीगण ने कब-कब आकर दाताराम से उसकी मारपीट कराई थी ऐसी स्थिति में परिवारी का यह कथन भी विश्वास योग्य नहीं है कि आरोपी जमुनीप्रसाद एवं बर्फी भी परिवारी की मारपीट करवाते थे।

13. परिवारी बुधाबाई अ0सा01 ने अपने कथन में यह बताया है कि शादी के 1-2 साल बाद से ही उसका पति दाताराम उसकी मारपीट करने लगा था एवं शेष आरोपीगण उसे खड़े होकर पिटवाते थे तथा दाताराम उससे एक लाख रुपये लाने के लिए कहता था परंतु बुधाबाई द्वारा उक्त संबंध में किसी विनिर्दिष्ट घटना का कथन नहीं किया गया है परिवारिया बुधाबाई अ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह नहीं बताया गया है कि आरोपी दाताराम ने किस दिनांक को उससे एक लाख रुपये की मांग की थी एवं किस दिनांक को उसकी मारपीट की थी।

14. परिवारी बुधाबाई अ0सा01 द्वारा अपने कथन में यह भी बताया गया है कि उसका भाई उसे मायके ले जाता था एवं कुछ दिन बाद उसे ससुराल छोड़ जाता था पंचायतें भी जोड़ी गई थी पर आरोपीगण उसकी मारपीट करते रहे थे परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उसका भाई उसे कब मायके ले गया था एवं कब पंचायत जोड़ी गई थी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि ग्राम बाखौली के 1-2 बार पंचायत हुई थी एवं उसके मायके ग्राम डोंढरी में भी पंचायत हुई थी परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ग्राम बाखौली एवं ग्राम डोंढरी में किस-किस दिनांक को पंचायत हुई थी परिवारी द्वारा उक्त तथ्यों के संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में परिवारी बुधाबाई अ0सा01 के कथन विश्वास योग्य नहीं है।

15. परिवारिया बुधाबाई अ0सा01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि शादी के एक दो साल बाद से ही उसका पति दाताराम उसकी मारपीट करने लगा था तथा शेष आरोपीगण उसे खड़े होकर पिटवाते थे परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि उसके सबसे बड़े पुत्र दिनेश का जन्म उसकी शादी के दो साल बाद हुआ था एवं दिनेश के जन्म के पश्चात् उसके मायके वालों ने पछ दिया था जिसे आरोपीगण ने प्रेमपूर्वक लिया था तथा पछ के समय आरोपीगण ने उससे या उसके मायके वालों से कोई शिकायत नहीं की थी। इस प्रकार परिवारी बुधाबाई अ0सा01 ने

अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि आरोपीगण शादी के 1-2 साल बाद से ही उसकी मारपीट करने लगे थे परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसकी शादी के दो साल बाद दिनेश का जन्म हुआ था एवं उस समय तक उसके ससुराल वालों को उससे या उसके मायके वालों से कोई शिकायत नहीं थी इस प्रकार परिवादी बुधाबाई अ0सा01 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त बिंदु पर परिवादी बुधाबाई अ0सा01 के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। परिवादी बुधाबाई द्वारा स्वयं यह व्यक्त किया गया है कि शादी के दो साल बाद उसके पुत्र दिनेश का जन्म हुआ था एवं दिनेश के जन्म के समय उसके मायके से पछ गया था जिसे आरोपीगण ने प्रेमपूर्वक लिया था। परिवादी के उक्त कथन से यही प्रकट होता है कि दिनेश के जन्म के समय तक परिवादी एवं आरोपीगण के मध्य मधुर संबंध थे एवं परिवादी अपनी ससुराल में प्रेमपूर्वक रह रही थी। ऐसी स्थिति में परिवादी का यह कथन कि आरोपीगण शादी के 1-2 साल बाद से ही उसकी मारपीट करने लगे थे, सत्य नहीं है।

16. परिवादी बुधाबाई ने अपने कथन में दाताराम द्वारा उससे एक लाख रुपये की मांग करना एवं सभी आरोपीगण द्वारा उसकी मारपीट करना बताया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसकी ससुराल वालों ने सर्वप्रथम उसकी मारपीट किस वर्ष से की थी परिवादी बुधाबाई अ0सा01 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि शादी के दो साल बाद से ही आरोपीगण उसकी मारपीट करते थे परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि दो साल बाद उसके पुत्र दिनेश का जन्म हुआ था एवं तब तक आरोपीगण को उससे एवं उसके मायके वालों से कोई शिकायत नहीं थी। इस प्रकार उक्त बिंदु पर भी परिवादी बुधाबाई अ0सा01 के कथनों अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं जो परिवादी के कथनों की सत्यता के प्रति संदेह उत्पन्न कर देते हैं।

17. परिवादी बुधाबाई अ0सा01 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि शादी के दो साल बाद से ही आरोपीगण उसे परेशान करते थे उक्त संबंध में वह मौ थाने रिपोर्ट करने गई थी परंतु थाने वालों ने उसकी रिपोर्ट नहीं ली थी। उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उक्त संबंध में उसने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं की परंतु परिवादी का यह कथन भी सत्य प्रतीत नहीं होता है। यदि परिवादी ने शादी के दो साल बाद आरोपीगण के विरुद्ध मौ थाने पर रिपोर्ट की होती तो पुलिस द्वारा परिवादी की रिपोर्ट अवश्य लिखी जाती यदि पुलिस थाने द्वारा परिवादी की रिपोर्ट को लेने से इंकार किया गया था तो उक्त संबंध में परिवादिया को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए थी परंतु परिवादिया द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादिया द्वारा यह परिवाद पत्र विवाह के 15 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त सभी तथ्य परिवादी के कथनों को संदेहास्पद बना देते हैं।

18. जहां तक परिवादी साक्षी हरविलास अ0सा02 एवं सुरेन्द्र सिंह अ0सा03 के कथन का प्रश्न है तो हरविलास अ0सा02 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि शादी के एक साल बाद से ही आरोपीगण बुधाबाई को परेशान करने लगे थे एवं बुधाबाई से दहेज में एक लाख रुपये की मांग करने लगे थे जब कि स्वयं परिवादी बुधाबाई अ0सा01 के कथनों से यह दर्शित है

कि पुत्र दिनेश के जन्म तक परिवारिया अपनी ससुराल में प्रेमपूर्वक रहती थी। हरविलास अ0सा02 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि जेठ में बुधाबाई की शादी हुई थी एवं होली पर आरोपीगण ने बुधाबाई की मारपीट की थी उसके बाद बुधाबाई मायके आई थी और पंचायत जोड़ी थी तब उसे उक्त बात की जानकारी दी थी परंतु यह बात कि जेठ में बुधाबाई की शादी हुई थी एवं होली पर आरोपीगण ने बुधाबाई की मारपीट कर दी थी तब बुधाबाई के मायके में पंचायत जोड़ी थी स्वयं बुधाबाई अ0सा01 द्वारा नहीं बताई गई है। बुधाबाई अ0सा01 का ऐसा कहना नहीं है कि पंचायत में हरविलास मौजूद था इस प्रकार उक्त बिंदु पर बुधाबाई अ0सा01 एवं हरविलास अ0सा02 के कथनों से यह दर्शित है कि बुधाबाई अ0सा01 एवं हरविलास अ0सा02 के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

19. जहां तक सुरेन्द्र सिंह अ0सा03 के कथनों का प्रश्न है तो सुरेन्द्र सिंह ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि शादी के बाद साल छः महीने बुधाबाई अपनी ससुराल में अच्छी तरह से रही थी उसके बाद आरोपीगण उसे परेशान करने लगे थे उसने स्वयं जाकर देखा था आरोपीगण उससे नंगेपैर खेतों पर काम करवाते थे इस प्रकार सुरेन्द्र सिंह अ0सा03 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आरोपीगण बुधाबाई से नंगे पैर खेतों पर काम कराते थे परंतु यह बात स्वयं बुधाबाई अ0सा01 द्वारा नहीं बताई गई है। इसके अतिरिक्त सुरेन्द्र सिंह अ0सा03 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि उसने स्वयं देखा था कि आरोपीगण बुधाबाई से नंगे पैर खेतों में काम कराते थे परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि शादी के बाद वह एक बार भी बुधाबाई के ससुराल नहीं गया था उसके तुरंत पश्चात ही उक्त साक्षी द्वारा अपने कथनों में सुधार करते हुए यह भी व्यक्त किया गया है कि वह 5-50 बार बुधाबाई की ससुराल गया था। उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उसे याद नहीं है कि वह प्रथम बार बुधाबाई की ससुराल कब गया था इस प्रकार सुरेन्द्र सिंह अ0सा03 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। उक्त साक्षी के कथन परिवारी बुधाबाई अ0सा01 के कथनों से भी विरोधाभासी रहे हैं। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

20. इस प्रकार प्रकरण के समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में परिवारी बुधाबाई अ0सा01 ने आरोपी दाताराम द्वारा उससे एक लाख रुपये की मांग करना एवं सभी आरोपीगण द्वारा उसकी मारपीट करना बताया है परन्तु परिवारी द्वारा उक्त संबंध में किसी विनिर्दिष्ट घटना का कथन नहीं किया गया है। परिवारी बुधाबाई अ0सा01 के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान विरोधाभासी रहे हैं। परिवारी बुधाबाई अ0सा01 द्वारा विवाह के लंबे समय 15 वर्ष पश्चात परिवार प्रस्तुत किया गया है। परिवारी बुधाबाई अ0सा01, एवं साक्षी हरविलास अ0सा02 तथा साक्षी सुरेन्द्र सिंह अ0सा03 के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। प्रकरण में आई साक्ष्य से आरोपीगण द्वारा दहेज की मांग किया जाना संदेहास्पद है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कूँरता रहित दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करना हर महिला का अधिकार है परंतु यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी महिला को उक्त अधिकार का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में आई साक्ष्य से यही दर्शित होता है कि परिवारिया द्वारा आरोपीगण

के विरुद्ध मिथ्या अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। प्रकरण में आई साक्ष्य से परिवादिया आरोपीगण के विरुद्ध युक्ति युक्त संदेह से परे अपराध साबित करने में असफल रही है ऐसी स्थिति में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

21. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो स्वरूप का स्थान नहीं ले सकता है अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित है।

22. प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रही है कि आरोपीगण ने दिनांक 09.06.11 के लगभग 15 वर्ष पूर्व से ग्राम बाखौली में परिवादी बुधाबाई के पति/ नातेदार होकर परिवादी बुधाबाई से दहेज में एक लाख रुपये की मांग की एवं मांग की पूर्ति न होने पर परिवादी बुधाबाई को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की। फलतः यह न्यायालय संदेह का लाभ देते हुए आरोपी दाताराम, श्यामलाल, भूरीबाई, जमुनीप्रसाद, बर्फी, ओमवती तथा गुड्डी में से प्रत्येक को भा0दं0सं0 की धारा 498ए के आरोप से दोषमुक्त करती है।

23. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

24. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक –07.09.2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही/—

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)